(72)

प.अ/

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 पार्ट   जयपुर, दिनांक :- 20 SEP 2017

आदेश

राज्य सरकार द्वारा विभागीय परिपत्र कमांक प.2(30)नविवि/3/2016 पार्ट/1516-30 दिनांक 25.04.2017 से यह निर्देश दिये गये है कि प्राधिकरण/न्यास परिधि क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि खातेदार द्वारा आवासीय निर्माण करने पर 500 वर्गमीटर तक का निःशुल्क पट्टा दिया जा सकेगा। इस संबंध में कई जगह से यह पूछा जा रहा है कि क्या उक्त पट्टा देने से पूर्व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए किया जाना आवश्यक है या नही ?

इस संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लिया गया है कि किसी भी खातेदार उस कृषि भूमि में पट्टा देने से पूर्व निम्नांकित शर्ते पूर्ण करना आवश्यक है:-

1. यदि किसी खसरा में एक या एक से अधिक खातेदार है तथा उनके द्वारा 500 वर्गमीटर तक आवासीय निर्माण किया हुआ ऐसे क्षेत्र को खातेदार अथवा खातेदारों द्वारा तकासमा करवा कर अपने नाम उक्त आवासीय क्षेत्र पृथक करावें खसरा नं. भी अलग अंकित करावे।
2. तत्पश्चात उस क्षेत्र का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के 90-ए की कार्यवाही करते हुए सबंधित प्राधिकरण/न्यास निःशुल्क पट्टा दे सकेगी।
3. उपरोक्तानुसार पट्टा देने से पूर्व पट्टे में यह अंकित किया जावें कि योजना बनाते समय उक्त पट्टे की भूमि को भी योजना में समाहित किया जावेगा।
4. पट्टा देते समय यह ध्यान अवश्य रखा जावें कि पट्टा मास्टर प्लान के अनुरूप ही है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

20/9/17

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन मण्डल विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
5. जिला कलेक्टर (समस्त) राजस्थान।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
9. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. श्री आर.के.पारीक, विशेषाधिकारी/परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, नगर नियोजन भवन जेडीए जयपुर के पास।
13. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
14. वरिष्ट संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
15. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
16. रक्षित पत्रावली।

20/9/17

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम